

मुख्यमंत्री ने उ०प्र० होम गार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की

होम गार्ड्स उ०प्र० की आन्तरिक सुरक्षा, कानून—व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन तथा जनसेवा का महत्वपूर्ण स्तम्भ : मुख्यमंत्री विभाग के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण क्षमता विस्तार, आधारभूत संरचना सुदृढीकरण और मानव संसाधन विकास से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश

होम गार्ड्स के जवानों को सी०पी०आर० व फर्स्ट एड की अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग दी जाए और गोल्डन आवर के महत्व के बारे में बताया जाए

प्रशिक्षण भत्ता 260 रु० प्रतिदिन से बढ़ाकर ड्यूटी भत्ते के समकक्ष, प्रत्येक होम गार्ड्स को प्रत्येक तीन वर्ष में 3,000 रु० वर्दी भत्ता प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू

3,812 होमगार्डों को 'आपदा मित्र' के रूप में प्रशिक्षित किया गया

लखनऊ : 31 मई, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि होम गार्ड्स संगठन उत्तर प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा, कानून—व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन तथा जनसेवा का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीक रूप से दक्ष और आधुनिक बनाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि विभाग के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण क्षमता विस्तार, आधारभूत संरचना सुदृढीकरण और मानव संसाधन विकास से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि होम गार्ड्स केवल पुलिस बल के सहायक के रूप में ही नहीं, बल्कि आपदा राहत, भीड़ प्रबंधन, चुनावी व्यवस्थाओं, सामुदायिक सेवा तथा जनजागरूकता अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस व होम गार्ड्स का जवान समाज का फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। किसी भी घटना में पीड़ित के पास सबसे पहले यही पहुंचते हैं, इसलिए इन्हें सी०पी०आर० व फर्स्ट एड की अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग दी जाए और गोल्डन आवर के महत्व के बारे में भी बताया जाए। इनकी सजगता जीवन बचाने में काफी महत्वपूर्ण होती है।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 1963 में स्थापित उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन में 1,18,348 पद स्वीकृत हैं। स्थापना के समय जहां मात्र 2,000 होमगार्ड व्यवस्थापित थे, वहीं आज 67,971 होम गार्ड्स उपलब्ध हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में 3,812 होमगार्डों को 'आपदा मित्र' के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त 1,091 स्वयंसेवकों को अग्नि बचाव तथा 425 को बाढ़ बचाव कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने एनरोलमेंट प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता के साथ सम्पन्न की जाए। बैठक में बताया गया कि 03 नवम्बर, 2025 को जारी उत्तर प्रदेश राज्य होम गार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अंतर्गत 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट प्रक्रिया के तहत अप्रैल, 2026 में लिखित परीक्षा पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई। अंतिम परिणाम सितम्बर, 2026 में घोषित किए जाने की तैयारी है। चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों में 90 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सक्षम, अनुशासित और पेशेवर होम गार्ड्स बल के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री जी ने विभागीय कार्यप्रणाली में तकनीक के व्यापक उपयोग पर बल देते हुए कहा कि पारदर्शिता और दक्षता के लिए डिजिटल प्रणालियों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि प्रशिक्षण भत्ता 260 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर ड्यूटी भत्ते के समकक्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक होम गार्ड्स को प्रत्येक तीन वर्ष में 3,000 रुपये वर्दी भत्ता प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है।

आधारभूत संरचना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि लगभग 104.80 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत 20 निर्माण परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री जी ने होम गार्ड्स कल्याण से सम्बन्धित उपायों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वयंसेवकों और उनके परिवारों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में बताया गया कि सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में नामित आश्रित को 05 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जा रही है। दिसम्बर, 2020 से अब तक 3,153 मामलों में 157.65 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की जा चुकी है। अप्रैल, 2022 से अब तक 125 दिवंगत होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के आश्रितों को विभिन्न बैंकिंग बीमा योजनाओं के माध्यम से 30 लाख रुपये से 45 लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्राप्त हुई है। अंतरजनपदीय संचरण की स्थिति में देय दैनिक भोजन भत्ता 30 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये प्रतिदिन किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होम गार्ड्स संगठन को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को राज्य स्तरीय अत्याधुनिक संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, आधुनिक परेड ग्राउंड, ड्रिल क्षेत्र, फिजिकल ट्रेनिंग एवं ऑब्स्टेकल कोर्स, आधुनिक छात्रावास, भोजनालय, डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म तथा सीसीटीवी आधारित सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन को आधुनिक, सक्षम, अनुशासित और जनसेवा के लिए सदैव तत्पर बल के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी प्रस्तावित योजनाओं एवं सुधारात्मक पहलों को निर्धारित समयसीमा में लागू करने के निर्देश दिए।